



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उनवान

बनाम.....

किस्म मुकदमा.....अन्तर्गत धारा.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस में
	<p>पत्राधिकारी की पत्रों को शामिल पत्रावली को जावे। पत्रावली में निहित हुका हो। कब से कब हो। काद तकमील जमा ठिला देख गडा हो। प्रमाणपत्र।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या  
197/2021

रजू दिनांक  
14.06.2021

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
17.08.2022

उनवान

1. श्रीराम
2. भूपसिंह पुत्रान सोलूराम
3. कबूल
4. ललीता पुत्रीयान सोलूराम
5. मूर्ती देवी पत्नी सोलूराम जातियान अहीर निवासीयान बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: वादीगण

बनाम

1. जगमाल
2. महावीर पुत्रान मल्लाराम
3. धनपती
4. नीलम पुत्रीयान जगमाल
5. नेतराम पुत्र मखन जातियान अहीर निवासीयान बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
7. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।


—: प्रतिवादीगण

दावा— तकासमा आराजी बम्य हु0 ई0 दवामी

—: अंतिम पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से श्री दयाराम तवर एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव की उपस्थिति में आज दिनांक 17.08.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अंतिम निबटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

न्यायालय आराजी ख0 नं0 18/0.68, 20/0.46, 55/0.15, 56/0.61, 57/0.42, 58/0.06 हे0 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के दावा खाता एवं लगान विभाजन के बाबत के बाद को तहसीलदार मुण्डावर के पत्रांक 4083 दिनांक 21.09.21 द्वारा प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" के आधार पर वकील उभय पक्षकारान की बाद विधिवत सुनवाई एवं सहमति के आधार पर वादीगण के बाद को अंतिम डिक्री किया जाता है एवं मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" के हाल राजस्व रिकॉर्ड में उभयपक्षकारान के नाम पृथक-पृथक खाता कायम कर विभाजन करने के आदेश दिए जाते है। "प्रदर्श-अ" अंतिम निर्णय एवं अंतिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षकारान को मिलने वाला हिस्सा, रकबा, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनिए रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। चूंकि दावा सं0 208/21 अनुवानी

  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

जगमाल बनाम श्रीराम प्रकरण भी उक्त पत्रावली के साथ पूर्व में जारी कंसोलीडेट के आदेश की स्थिति में उक्त डिक्री की प्रति दावा सं० 208/21 के साथ शामिल की जावे।

खर्चा मुकदमा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर, जिला अलवर राज०

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०